

संयुक्त परिवार संरचना और अवधारणाओं का परीक्षण

दया शंकर^{1*}, डॉ. धर्मेन्द्र कुमार सोनकर²

1 सहायक प्रोफेसर, रतन सेन डिग्री कॉलेज बंसी, सिद्धार्थनगर, यू.पी.

pdayashankar848@gmail.com

2 प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू स्मारक पीजी कॉलेज, महाराजगंज, यू.पी.

सार: परिवार को "एक सामाजिक समूह" के रूप में परिभाषित करता है जो सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग और प्रजनन द्वारा विशेषता है। मैकलेवर के अनुसार, परिवार "बच्चों की उत्पत्ति और पालन-पोषण प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से सटीक और स्थायी यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक समूह है"। समाजशास्त्रियों ने मुख्य रूप से संयुक्त परिवार के विघटन के प्रस्ताव को सामान्यीकृत किया है, जिससे भारत में शहरी परिवारों का अधिक एकलीकरण होता है, जो अधिक या कम हद तक आधुनिक परिवार प्रणाली में वृद्धों के एकीकरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। दूसरी ओर, वृद्ध आबादी के बारे में सार्वजनिक बहस को न केवल बुजुर्गों को रहने योग्य मानने के लिए बल्कि बुजुर्गों की बढ़ती आबादी के सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिर से संतुलित करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश भारत के प्रगतिशील राज्यों में से एक है जिसकी समृद्ध विरासत दो हजार साल से भी ज्यादा पुरानी है, इसका अपना एक गौरवशाली इतिहास और संस्कृति है। सिद्धार्थनगर जिला 27°N से 27°28'N और 82°45'E से 83°10'E के बीच स्थित है। यह पूर्वांचल का हिस्सा है। यह जिला उत्तर में नेपाल के कपिलवस्तु जिले और उत्तर-पूर्व में रूपन्देही जिले की सीमा से लगा हुआ है। इसके अलावा, यह उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से घिरा हुआ है: पूर्व में महाराजगंज, दक्षिण में बस्ती और संत कबीर नगर और पश्चिम में बलरामपुर। सिद्धार्थनगर का क्षेत्रफल 2,895 वर्ग किमी है। आयु देखभाल एसोसिएट (आकार 204) के सदस्यों की पूरी गणना के माध्यम से बुजुर्गों के सर्वेक्षण द्वारा एकत्रित मात्रात्मक प्राथमिक डेटा। चूंकि शोध का उद्देश्य आधुनिक परिवार में बुजुर्गों की भूमिका और योगदान, सार्वजनिक और घरेलू क्षेत्र में बुजुर्गों की भागीदारी का वर्णन और व्याख्या करना है, इसलिए अध्ययन की वर्तमान जांच के लिए एक वर्णनात्मक-व्याख्यात्मक शोध डिजाइन अपनाया गया है। अध्ययन गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टिकोण का मिश्रण है।

मुख्य शब्द: पारिवारिक संरचना, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, वैश्वीकरण और शहरीकरण

परिचय

परिवार मानव जाति की सार्वभौमिक एवं स्थायी संस्थाओं में से एक है। प्रत्येक समाज में और विकास के प्रत्येक चरण में हमें किसी न किसी प्रकार का परिवार मिलता है। परिणामस्वरूप, हमें दुनिया भर में विभिन्न प्रकार के परिवार मिले। लेकिन भारत में हमें एक अनोखी परिवार व्यवस्था मिली जो विशेष ध्यान देने योग्य है। भारत में परिवार में केवल पति-पत्नी और उनके बच्चे ही नहीं होते बल्कि चाचा-चाची, चचेरे भाई-बहन और पोते-पोतियाँ भी शामिल होते हैं।

इस व्यवस्था को संयुक्त परिवार या विस्तारित परिवार व्यवस्था कहा जाता है। यह संयुक्त परिवार व्यवस्था भारतीय सामाजिक जीवन की एक विशिष्ट विशेषता है। आमतौर पर, एक बेटा शादी के बाद खुद को माता-पिता से अलग नहीं करता है, बल्कि एक ही छत के नीचे रहता है और एक ही चूल्हे पर पका हुआ खाना खाता है, सामान्य पूजा में भाग लेता है और संपत्ति साझा करता है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा होता है।

संयुक्त परिवार के सभी सदस्य अपनी कमाई एक साझा कोष में रखते हैं जिससे परिवार का खर्च चलता है। तदनुसार भारतीय संयुक्त परिवार प्रणाली एक समाजवादी समुदाय की तरह है जिसमें प्रत्येक सदस्य अपनी क्षमता के अनुसार कमाता है और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार प्राप्त करता है। यह संयुक्त परिवार या विस्तारित परिवार घनिष्ठ रक्त संबंधों पर संगठित होता है। इसमें सामान्यतः तीन से चार पीढ़ियों के सदस्य होते हैं।

दूसरे शब्दों में, संयुक्त परिवार घनिष्ठ रक्त संबंधों और सामान्य निवास के आधार पर एक से अधिक प्राथमिक परिवारों का संग्रह है। सभी सदस्य आपसी दायित्वों से बंधे हैं और उनका एक ही पूर्वज है। इसमें एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और विवाहित बेटे, उनके बच्चे और अविवाहित बेटी, उसका भाई और उसके माता-पिता शामिल हैं।

लेकिन संयुक्त परिवार के अर्थ को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमें विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई इसकी कुछ परिभाषाओं का विश्लेषण करना होगा।

एक बड़ा अविभाजित परिवार जिसमें कई पीढ़ियाँ एक घर साझा करती हैं, एक संयुक्त परिवार होता है (जिसे अखंड परिवार, साझा घर या विस्तारित परिवार संरचना के रूप में भी जाना जाता है)। संयुक्त परिवार में दादा-दादी, पिता, माता और बच्चे एक ही छत के नीचे रहते हैं। ऐसी पारिवारिक व्यवस्था में प्रत्येक सदस्य से अपेक्षा की जाती है कि वह सामान्य निधि में वित्तीय रूप से योगदान दे, घरेलू संपत्ति का स्वामित्व समान रूप से साझा करे, सामान्य संपत्ति की रक्षा करे, एक-दूसरे का सहयोग, सम्मान और समर्थन करे, सामुदायिक रसोई में तैयार भोजन का उपभोग और भुगतान करे। सामान्य निधि से दैनिक व्यय।

परिवार को समाज की मूल इकाई माना जाता है और यह अपने सदस्यों के साथ-साथ समाज के लिए भी महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक कार्य करता है। परिवार अपने सदस्यों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक भावनात्मक, वित्तीय और भौतिक सहायता के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। परिवार की

ताकत को पहचानने के लिए, संयुक्त राष्ट्र ने "समाज के केंद्र में सबसे छोटे लोकतंत्र का निर्माण" का नारा दिया। भारत में, मूल्य प्रणाली गहरी जड़ें जमा चुकी है और इसने अपने सदस्यों के बीच मजबूत पारिवारिक बंधनों के साथ परिवारों को कमोबेश अक्षुण्ण रखने में मदद की है। एक सामाजिक इकाई के रूप में परिवार ने एक ओर व्यक्तिगत आवश्यकताओं और दूसरी ओर सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों और मूल्यों के बीच संतुलन बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। इस प्रकार, परिवार का कार्य मौजूदा सामाजिक व्यवस्था और नेटवर्क का समर्थन करना है: समाज की अन्य संस्थाओं के साथ। परिवार में एक आवासीय इकाई शामिल है - वयस्क और बच्चे एक ही छत के नीचे रहते हैं।

पारिवारिक संरचना

परिवार को मोटे तौर पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मिलन के रूप में देखा जाता है, जो विवाह, रक्त, गोद लेने या सहमति से बने संबंधों से एकजुट होते हैं। इसलिए, मानव विकास पारिवारिक जीवन से सर्वोत्तम रूप से समृद्ध हो सकता है। कोई भी नागरिक समाज: यह मांगों और संसाधनों के बीच संतुलन को बहाल करने की कोशिश करता है और समाज में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है।

परिवार की संरचना समाज में प्रचलित मानदंडों के अनुसार निर्धारित होती है। यह परिवार की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और पारिवारिक कानूनों पर निर्भर करता है। पारिवारिक संरचना विवाह प्रथाओं, वंश, बच्चे पैदा करने, मृत्यु, विरासत और उत्तराधिकार को नियंत्रित करती है। इसलिए, इस संदर्भ में पारिवारिक गतिशीलता की समझ महत्वपूर्ण हो जाती है। पारिवारिक गतिशीलता में मोटे तौर पर पारिवारिक संपर्क और विकास शामिल होता है, जो पारिवारिक मानदंडों, पारिवारिक पारिस्थितिकी और व्यक्तिगत सदस्यों की उम्र और जरूरतों के समाजीकरण से प्रभावित होता है। पारिवारिक अंतःक्रिया में पारिवारिक सामंजस्य, पारिवारिक संचार और भूमिका प्रदर्शन शामिल हैं।

संयुक्त परिवार की अवधारणा

'संयुक्त परिवार' शब्द में 'संयुक्तता' की अवधारणा अलग-अलग विद्वानों में अलग-अलग है। जबकि कुछ विद्वान (इरावती कर्वे) 'संयुक्तता' को संयुक्तता में महत्वपूर्ण मानते हैं, अन्य लोग सहसंबद्धता को संयुक्तता के आवश्यक तत्व मानते हैं; फिर भी अन्य लोग संपत्ति के संयुक्त स्वामित्व को महत्व देते हैं, भले ही निवास का प्रकार और सहभोजिता कुछ भी हो; और कुछ लोग रिश्तेदारों के प्रति दायित्वों की पूर्ति को महत्व देते हैं, भले ही निवास अलग हो और संपत्ति का कोई साझा स्वामित्व न हो। कर्वे (1953)

के अनुसार, भारत में प्राचीन परिवार निवास, संपत्ति और कार्यों की दृष्टि से संयुक्त थे। उन्होंने संयुक्त परिवार की पाँच विशेषताएँ बताई हैं: सामान्य निवास, सामान्य रसोई, सामान्य संपत्ति, सामान्य पारिवारिक पूजा और कुछ रिश्तेदारी संबंध। इस आधार पर, वह संयुक्त परिवार को उन लोगों के समूह के रूप में परिभाषित करती है जो आम तौर पर एक ही छत के नीचे रहते हैं, जो एक ही चूल्हे पर पका हुआ खाना खाते हैं, जो साझा संपत्ति रखते हैं, जो सामान्य पारिवारिक पूजा में भाग लेते हैं और जो एक दूसरे से कुछ हद तक संबंधित होते हैं।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के अनुसार, यहां 'सामान्य' या 'संयुक्त संपत्ति' शब्द का अर्थ है कि तीन पीढ़ियों तक के सभी जीवित पुरुष और महिला सदस्यों को पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलता है और सह-साझेदार की सहमति के बिना, संपत्ति को बेचा या निपटाया नहीं जा सकता।

संयुक्त परिवार की विशेषताएँ या विशेषताएँ:

संयुक्त परिवार की निम्नलिखित विशेषताएँ या विशेषताएँ होती हैं।

1) आकार में बड़ा:

संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका आकार बड़ा होता है। क्योंकि इसमें तीन से चार पीढ़ियों के सदस्य शामिल होते हैं। इसमें माता-पिता, दादा-दादी, बच्चों के पोते-पोतियां और अन्य करीबी रिश्तेदार शामिल हैं। कई एकल परिवार एक साथ रहते हैं और एक संयुक्त परिवार का गठन करते हैं।

2) संयुक्त संपत्ति:

संयुक्त या सामान्य संपत्ति संयुक्त परिवार की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। परिवार की सभी चल एवं अचल संपत्ति संयुक्त रूप से धारित। संपत्ति का स्वामित्व, उत्पादन और उपभोग संयुक्त रूप से होता है।

3) सामान्य रसोई:

यह संयुक्त परिवार की अगली महत्वपूर्ण विशेषता है। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही चूल्हे पर पका हुआ खाना खाते हैं।

4) सामान्य निवास:

संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक ही छत के नीचे या एक ही आवास में रहते हैं। यह संयुक्त जीवन परिवार के सभी सदस्यों के बीच एकता की भावना पैदा करता है।

5) सामान्य पूजा:

संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक विशेष धर्म में विश्वास करते हैं और सामान्य देवी-देवताओं की पूजा करते हैं। इस सामान्य देवता को 'कुल देवता' के नाम से जाना जाता है।

6) समान अधिकार और दायित्व:

संयुक्त परिवार में मुखिया को छोड़कर सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त हैं और वे एक-दूसरे के प्रति समान दायित्व दर्शाते हैं।

7) खून के रिश्ते बंद करें:

संयुक्त परिवार के सभी सदस्य घनिष्ठ रक्त संबंधों से बंधे होते हैं। दूसरे शब्दों में, संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच घनिष्ठ रक्त संबंध मौजूद होते हैं।

8) सिर की पूर्ण शक्ति:

संयुक्त परिवार में सबसे बड़े पुरुष सदस्य या मुखिया को दूसरों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। हर मामले में उनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी है।

9) सहयोग:

संयुक्त परिवार का आधार सहयोग है। सभी सदस्य अपने सामान्य उद्देश्य को साकार करने और पारिवारिक कार्यों को करने में एक-दूसरे का सहयोग करते हैं।

10) समाजवादी आदर्श:

समाजवादी आदर्शों पर आधारित संयुक्त परिवार "प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार"।

साहित्य की समीक्षा

रानी, पूजा और कौर, अमन। (2023) भारत में परिवार सामाजिक स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने में सदैव एक केंद्रीय भूमिका निभाते रहे हैं। यद्यपि समय के साथ पारिवारिक संरचनाओं में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं, फिर भी यह आवश्यक है कि इन परिवर्तनों के कारण समाज की मूल परंपराएँ, मूल्य तथा पारस्परिक सहजीवन की भावना नष्ट न हो। विवाह की प्रकृति, परिवार की संरचना तथा पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं में स्पष्ट रूप से बदलाव देखा जा सकता है। विभिन्न सर्वेक्षणों एवं अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय परिवारों में हो रहे ये परिवर्तन व्यापक सामाजिक यथार्थ का प्रतिबिंब हैं। अतः भारत में समाज, संस्कृति और आर्थिक व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों को समझना न केवल आवश्यक है, बल्कि समकालीन सामाजिक विश्लेषण के लिए अनिवार्य भी है।

गोपालकृष्णन, करुणानिधि. (2021) स्वतंत्रता से पूर्व भारत में पारिवारिक जीवन की प्रमुख संरचना संयुक्त परिवार प्रणाली थी, जो सामूहिकता और परस्पर सहयोग की भावना पर आधारित थी। यह प्रणाली न केवल सामाजिक मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन का माध्यम थी, बल्कि इन मूल्यों के पीढ़ीगत हस्तांतरण का भी एक सशक्त आधार रही है। औद्योगीकरण के प्रसार तथा उसके पश्चात हुए शहरीकरण और आधुनिकीकरण के प्रभाव से संयुक्त परिवार व्यवस्था धीरे-धीरे एकल परिवारों में विभाजित होने लगी। आधुनिक एकल परिवार व्यवस्था, संयुक्त परिवार में अंतर्निहित सामूहिक मूल्यों के विपरीत, व्यक्तिवाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्व देती है। इस परिवर्तन के साथ पारिवारिक निष्ठा भी वंश आधारित संबंधों से हटकर वैवाहिक संबंधों की ओर स्थानांतरित हुई है। परिणामस्वरूप, एकल परिवार आज के भारतीय समाज में एक अनिवार्य और प्रमुख सामाजिक इकाई के रूप में उभर कर सामने आया है। हालाँकि, वर्तमान युवा पीढ़ी के जीवन में पूर्ण स्वतंत्रता की ओर झुकाव के कारण इसकी स्थिरता शायद दूर के भविष्य में अनिश्चित हो सकती है। संभवतः इसका परिणाम दूर के भविष्य में लोगों की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक नए प्रकार की जीवन व्यवस्था के उद्भव के रूप में हो सकता है।

एसपी, राजीव. (2019). परिवार आधारित सामाजिक कार्य व्यक्तियों और समूहों के लिए सामाजिक कार्य हस्तक्षेपों में सबसे आगे रहा है। पिछली शताब्दी के दौरान विवाह और परिवार की संस्थाओं में जबरदस्त बदलाव हुए। विभिन्न सामाजिक परिवर्तनों के बावजूद, परिवार आज भी व्यक्तिगत और सामूहिक कमजोरियों से निपटने का एक सशक्त आधार बने हुए हैं। इसी कारण परिवार सामाजिक कार्य एवं सामाजिक कल्याण के हस्तक्षेपों का एक केंद्रीय केंद्र बिंदु है। परिवारों द्वारा अनुभव की जाने वाली आवश्यकताएँ और चुनौतियाँ वैश्विक स्तर पर भिन्न-भिन्न रूपों में दिखाई देती हैं, और भारत में भी पेशेवर सहायता की माँग विविध स्वरूपों में परिलक्षित होती है। यह लेख भारत में विवाह और पारिवारिक

प्रणाली में उभरते रुझानों पर प्रकाश डालता है तथा अंतरराष्ट्रीय सामाजिक कार्य परिदृश्य में उपलब्ध पेशेवर सेवाओं की तुलना में भारत में आवश्यक नवीन सामाजिक कार्य दृष्टिकोणों और रणनीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। साथ ही, यह अध्ययन ऑस्ट्रेलियाई संदर्भ में अपनाई गई कुछ प्रभावी रणनीतियों पर भी चर्चा करता है, जो समकालीन पेशेवर सामाजिक कार्य दृष्टिकोणों के अनुरूप मानी जाती हैं।

भसीन, हिमानी. (2016). संस्कृति और एकता की भूमि भारत में, संस्कृति और एकता समाज की संरचना में, वास्तव में समाज की छोटी इकाई यानी परिवार में अच्छी तरह से अभिव्यक्त होती है। एक परिवार एक दूसरे से गैर-पेशेवर तरीके से जुड़े हुए मनुष्यों का एक समूह है, जो परिवार के भीतर एक ठोस सामंजस्य को जन्म देता है। प्यार, देखभाल और स्नेह सबसे प्रमुख मानवीय मूल्य हैं, जो एक परिवार के भीतर रिश्तों के इन बंधनों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। आम तौर पर, एक एकल परिवार को एक जोड़े, बच्चों, दादा-दादी और पालतू जानवरों से मिलकर एक इकाई के रूप में माना जा सकता है। हालाँकि, भारत में एक विशेष प्रकार की पारिवारिक संरचना मौजूद है जो वास्तव में मानवीय संबंधों को संभालने और बनाए रखने के तरीके में काफी ज्वलंत है। इस विशेष प्रकार की पारिवारिक संरचना संयुक्त परिवार प्रणाली है।

शेइदु अब्दुलकरीम, हारुना और बाबा, यूसुफ। (2022) परिवार का समाजशास्त्र, समाजशास्त्र विषय की एक महत्वपूर्ण शाखा या उप-क्षेत्र है, जो रिश्तेदारी संबंधों के निर्माण, संरक्षण, विकास, संरचना, कार्यों तथा उनके विघटन की समग्र समझ से संबंधित है। यह दृष्टिकोण परिवार को समाज की एक प्रमुख सामाजिक संस्था और समाजीकरण की मूल इकाई के रूप में देखता है। परिवार का समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की एक केंद्रीय संस्था के रूप में परिवार के व्यवस्थित विश्लेषण और गहन अध्ययन के लिए समर्पित समाजशास्त्र की वह शाखा है, जो सामाजिक संरचना और प्रक्रियाओं में परिवार की भूमिका को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है। इसलिए समाजशास्त्र का यह उप-क्षेत्र परिवारों के बीच पैटर्न वाले सामाजिक संबंधों और समूह की गतिशीलता के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण तृतीयक संस्थानों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनता है।

अनुसंधान क्रियाविधि

समकालीन समाज में बुजुर्गों का जीवन नई और अनूठी चुनौतियों के साथ-साथ अधिक संभावनाओं और दायरे को भी प्रस्तुत करता है। वृद्धावस्था का समाजशास्त्रीय अध्ययन व्यक्तिगत वृद्धावस्था और वृद्ध समाज दोनों के सामाजिक पहलुओं से संबंधित है। हालाँकि वृद्धावस्था का व्यक्तिगत अनुभव विभिन्न

सामाजिक कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें सार्वजनिक नीतियाँ और कार्यक्रम, आर्थिक स्थिति, सामाजिक समर्थन और स्वास्थ्य स्थिति (बेहुरा और मोहंती, 2000) शामिल हैं, वृद्धावस्था का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण मुख्य रूप से सामाजिक संगठनों और सामाजिक संरचना में बुजुर्गों की अपनी संतानों, रिश्तेदारों, दोस्तों आदि के साथ भूमिकाओं और संबंधों पर जोर देता है।

अनुसंधान समस्या

बढ़ती हुई वृद्ध आबादी के युग में, वृद्ध लोगों के लिए घर की व्यवस्था वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए समकालीन समाज में एक उभरती चुनौती है। शहरी क्षेत्रों में वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या के साथ-साथ जनसंख्या के बढ़ते घनत्व और रहने की जगह की कमी के कारण यह और भी समस्याग्रस्त हो गया है। इसके अलावा, शहरी समाज में परिवार, स्कूल और काम के बीच संबंधों और संक्रमणों को निर्देशित करने वाले पारंपरिक पैटर्न को चुनौती दी जा रही है। शहरी समाज में रिश्तों के परस्पर बंधन में कमी के कारण शहरी परिवार घर को घर बना रहे हैं। सामाजिक संबंध जो समाजीकरण की एक सहज प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं, ढह रहे हैं। इस संदर्भ में, जबकि समाजशास्त्रियों ने मुख्य रूप से संयुक्त परिवार के विघटन के प्रस्ताव को सामान्यीकृत किया है, जिससे भारत में शहरी परिवारों का अधिक एकलीकरण होता है, जो अधिक या कम हद तक आधुनिक परिवार प्रणाली में वृद्धों के एकीकरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। दूसरी ओर, वृद्ध आबादी के बारे में सार्वजनिक बहस को न केवल बुजुर्गों को रहने योग्य मानने के लिए बल्कि बुजुर्गों की बढ़ती आबादी के सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए फिर से संतुलित करने की आवश्यकता है।

अध्ययन का स्थान

उत्तर प्रदेश भारत के प्रगतिशील राज्यों में से एक है जिसकी समृद्ध विरासत दो हज़ार साल से भी ज़्यादा पुरानी है, इसका अपना एक गौरवशाली इतिहास और संस्कृति है। सिद्धार्थनगर जिला 27°N से 27°28'N और 82°45'E से 83°10'E के बीच स्थित है। यह पूर्वचल का हिस्सा है। यह जिला उत्तर में नेपाल के कपिलवस्तु जिले और उत्तर-पूर्व में रूपन्देही जिले की सीमा से लगा हुआ है। इसके अलावा, यह उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से घिरा हुआ है: पूर्व में महाराजगंज, दक्षिण में बस्ती और संत कबीर नगर और पश्चिम में बलरामपुर। सिद्धार्थनगर का क्षेत्रफल 2,895 वर्ग किमी है।

उत्तर प्रदेश भारत के अधिकतम राज्यों की सीमा को छूता है। यह एक स्थल-रुद्ध राज्य है और इसकी सीमाएँ भारत के आठ राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलती हैं जिनमें शामिल हैं: राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़।

डेटा संग्रह के उपकरण:

साहित्य की समीक्षा, पेंशन योजना और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की समझ और जनता के अनुभव सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर, शोधकर्ता ने डेटा संग्रह के लिए उपकरण तैयार किए। साक्षात्कार अनुसूची- मुद्रित प्रश्न पूछे गए और शोधकर्ता द्वारा नोट किए गए।

निम्नलिखित के संबंध में जानकारी एकत्र करने के लिए एक साक्षात्कार अनुसूची तैयार की गई:

- वृद्धों द्वारा अनुभव की जाने वाली सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य स्थिति और विकलांगता।
- शहरी संयुक्त परिवार प्रणाली में बुजुर्गों की भागीदारी और एकीकरण की सीमा।
- घर में बुजुर्गों का योगदान.
- इसके अलावा बुजुर्गों को मिलने वाले पारिवारिक और सामाजिक समर्थन की प्रकृति और प्रकार से संबंधित डेटा एकत्र किया गया है।
- शहरी सामुदायिक जीवन में बुजुर्गों की भागीदारी की सीमा।

अनुसंधान डिजाइन

चूँकि शोध का उद्देश्य आधुनिक परिवार में बुजुर्गों की भूमिका और योगदान, सार्वजनिक और घरेलू क्षेत्र में बुजुर्गों की भागीदारी का वर्णन और व्याख्या करना है, इसलिए अध्ययन की वर्तमान जांच के लिए एक वर्णनात्मक-व्याख्यात्मक शोध डिजाइन अपनाया गया है। अध्ययन गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टिकोण का मिश्रण है।

विश्लेषण

वैश्वीकरण और बदलते पारिवारिक स्वरूप: संयुक्त परिवार का एक अध्ययन

परिवार का प्रकार

परिवार हर आधुनिक समाज में बुनियादी संस्था है। यहाँ देश के इस हिस्से में विभाजन और अलगाव को आम तौर पर ग्रामीण लोगों के बीच माता-पिता के प्रति अनादर के रूप में देखा जाता है, हालाँकि यह कारक शहरी और उच्च जातियों के बीच नहीं देखा जाता है। परिवार की संरचना स्वभावतः चक्रीय होती है, जिसमें एकल परिवार से संयुक्त परिवार और पुनः एकल परिवार की ओर परिवर्तन देखा जाता है। इस चक्रीय प्रक्रिया का विस्तृत विवेचन आगामी अध्याय में किया जाएगा। नीचे दी गई तालिका उत्तरदाताओं के परिवार के प्रकार को दिखाएगी:

तालिका 1: परिवार के प्रकार के आधार पर उत्तरदाताओं का वितरण

परिवार का प्रकार	आवृत्ति	प्रतिशत
नाभिकीय	163	54.33%
संयुक्त परिवार	137	45.66%
कुल	300	100

ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है कि लगभग 54.33% उत्तरदाता एकल परिवार में रहते हैं और 45.66% संयुक्त परिवार में। दोनों में परिवार का मुखिया पुरुष होता है और इसलिए व्यवस्था पितृसत्तात्मक, पुरुष-प्रधान होती है। लेकिन माँ और पत्नी के रूप में महिला की स्थिति दोनों ही संरचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। महिला अब परिवार की निष्क्रिय सदस्य नहीं है, वे शिक्षित हैं और अधिकांश मामलों में उनकी इच्छा को महत्व दिया जाता है। हालाँकि, पृथ्वी के अधिकांश लोगों के बीच, एकल परिवार एक अणु में परमाणुओं की तरह बड़े समुच्चय में संयोजित होते हैं। पिता की मृत्यु के बाद बड़ा भाई अपने भाइयों और बहनों के लिए पिता की तरह व्यवहार करता है।

संयुक्त परिवारों में विवाद

नगर घाट में मुसलमानों के बीच पारिवारिक प्रणाली की एक विशेषता यह है कि विवाद बढ़ जाते हैं, जो आमतौर पर परिवार में बहू के आने के बाद शुरू होते हैं। जब एक परिवार में दो या अधिक बेटियाँ होती हैं, तो स्थिति काफी बिगड़ जाती है समाज में, महिला परिवार के सदस्यों के बीच शिकारी रिश्ते होते हैं, जैसे दुल्हन का सास के साथ संबंध या दुल्हन का ननद के साथ संबंध। हालाँकि, सबसे विनाशकारी रिश्ते एक विशेष परिवार के भीतर रिश्तेदारों के बीच होते हैं, जो अक्सर पारिवारिक विभाजन की ओर ले जाते हैं। घाटों में संयुक्त परिवार प्रणाली के टूटने का एक प्रमुख कारण परिवार के भीतर तनाव है।

पारंपरिक लोक साहित्य हमें एक ही कस्बे में संयुक्त परिवारों में जटिल रिश्तों का विशद वर्णन देता है। जब माता-पिता अपने बेटे की शादी की पहल करते हैं, तो वे उसे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ, अपनी पत्नी की मांगों का पालन न करने की सलाह देते हैं। सास (हीर) आमतौर पर अपनी बहू से शादी करना चाहती है।

तालिका 2: उत्तरदाताओं का वितरण जिस पर तेजी से बढ़ती पारिवारिक प्रणाली है

परिवार	आवृत्ति	प्रतिशत
संयुक्त परिवार	111	37
एकल परिवार	189	63
कुल	300	100

एक सामान्य एकल परिवार में सामान्यतः एक विवाहित पुरुष एवं महिला अपने बच्चों के साथ निवास करते हैं, यद्यपि कुछ व्यक्तिगत परिस्थितियों में उनके साथ एक या अधिक अतिरिक्त सदस्य भी रह सकते हैं। एकल परिवार व्यवस्था को एक सार्वभौमिक पारिवारिक रूप माना जाता है, जो विश्व के विभिन्न भागों में विशेषतः शहरी क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रचलित है। इस पारिवारिक संरचना में माता-पिता अपने बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक इकाई होते हैं, जिनके माध्यम से बच्चों को प्रारंभिक संस्कार, व्यवहार एवं जीवन कौशल की शिक्षा प्राप्त होती है। एकल परिवार में भावनात्मक जुड़ाव अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्योंकि बच्चे पूर्णतः अपने माता-पिता पर निर्भर रहते हैं। इस प्रकार माता-पिता बच्चों के लिए मार्गदर्शक, शिक्षक और आदर्श भूमिका का निर्वहन करते हैं। समाज में एकल परिवार प्रणाली के विकास के पीछे अनेक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण विद्यमान हैं, जिन्हें निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट किया गया है।

तालिका 3: एकल परिवार के पक्ष में तर्क

एकल परिवार	आवृत्ति	प्रतिशत
स्वतंत्रता	112	37.6
मजबूत रिश्ता	70	23.3

कम झगड़े	88	29.1
वित्तीय स्थिरता	20	6.8
कोई और	10	3.2
कुल	300	100

एकल परिवार प्रणाली के तेजी से विकास के लिए विभिन्न कारण जिम्मेदार परंपरागत संयुक्त परिवार व्यवस्था धीरे-धीरे अपना प्रभाव खो रही है, जबकि सामाजिक संरचना में एकल परिवार प्रणाली का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि लगभग 37 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार एकल परिवार प्रणाली के विस्तार का प्रमुख कारण इसमें प्राप्त होने वाली व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इस व्यवस्था में दंपति एवं उनके बच्चे अन्य पारिवारिक सदस्यों के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र वातावरण में जीवन व्यतीत करते हैं, जिससे व्यक्तिगत निर्णय लेने और जीवन-शैली निर्धारित करने की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिलता है। वे आम तौर पर अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए काम करते हैं; ज्यादातर पिता सारी मेहनत करते हैं और माँ घर की देखभाल करती हैं। तालिका से पता चलता है कि लगभग 23% उत्तरदाताओं की राय थी कि एकल परिवार में, सदस्यों के बीच रिश्ते और बंधन आम तौर पर मजबूत होते हैं क्योंकि ज्यादातर पति, पत्नी और उनके बच्चे मूल इकाई होते हैं। सर्वेक्षण के दौरान, उत्तरदाताओं द्वारा यह खुलासा किया गया कि संयुक्त परिवार प्रणाली के विघटन का एक मुख्य कारण किसी विशेष परिवार में महिलाओं के बीच संघर्ष है लगभग 29% उत्तरदाताओं की राय थी कि समाज में एकल परिवार के विस्तार के लिए अनुपस्थिति या कम झगड़े जिम्मेदार हैं। हालाँकि, इसके अलावा वित्तीय स्थिरता, इस प्रकार के परिवार में सदस्यों के लिए सफलता प्राप्त करने के लिए स्वस्थ व्यक्तिगत अवसर जैसे अन्य कारक भी हैं, विश्लेषण की गई तिथि के अनुसार लगभग 10% उत्तरदाताओं ने खुलासा किया कि वित्तीय स्थिरता, देखभाल, विकास और विकास, बच्चों के कैरियर के अवसर आदि जैसे कई अन्य कारक हैं जो समाज में एकल परिवार प्रणाली के विकास के लिए जिम्मेदार हैं। आर्थिक सहयोग न केवल पति-पत्नी को बांधता है; यह एकल परिवार के भीतर माता-पिता और बच्चों के बीच विभिन्न संबंधों को भी मजबूत करता है।

आधुनिकीकरण और परिवार प्रणाली पर इसका प्रभाव

इसमें कोई संदेह नहीं है कि आधुनिकीकरण ने समाज के हर पहलू को प्रभावित किया है। लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव के साथ-साथ उनकी धारणाएँ भी बदली हैं। एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवार ने व्यक्तियों के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्हें समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों, मानदंडों तथा व्यवहार-पैटर्न को आत्मसात करने में सहायता प्रदान की है। किंतु आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण जैसी शक्तियों के प्रभाव से पारिवारिक व्यवस्था में व्यापक और उल्लेखनीय परिवर्तन उत्पन्न हुए हैं। आधुनिक समय में लोग तकनीक का उपयोग कर रहे हैं और इससे सामाजिक व्यवस्था में बदलाव आया है। परिवार के सदस्य अब अपने सगे-संबंधियों से अधिक आसानी से जुड़ जाते हैं और अब उनके लिए दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहने वाले सदस्यों से जुड़ना आसान हो गया है। परिवार प्रणाली पर आधुनिकीकरण के प्रभावों के बारे में लोगों के विचार जानने के लिए अनुसूची में एक प्रश्न जोड़ा गया और नीचे दी गई तालिका में प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया गया।

तालिका 4: परिवार प्रणाली पर आधुनिकीकरण के प्रभावों पर उत्तरदाताओं का वितरण

जवाब	आवृत्ति	प्रतिशत
हाँ	235	78.33
नहीं	65	21.66
कुल	300	100

आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ने सामाजिक जीवन के लगभग प्रत्येक आयाम को प्रभावित किया है और परिवार जैसी मूलभूत सामाजिक संस्था भी इससे अछूती नहीं रही है। पारंपरिक परिवार व्यवस्था में शक्ति एवं अधिकार सामान्यतः परिवार के मुखिया के पास केंद्रीकृत होते थे, किंतु आधुनिक संदर्भ में ये अधिकार परिवार के विभिन्न सदस्यों में विभाजित होते जा रहे हैं। पूर्व में परिवार के विभाजन के पश्चात संपत्ति के बंटवारे को लेकर लंबे समय तक संघर्ष और अव्यवस्था की स्थिति बनी रहती थी, जबकि वर्तमान समय में सिद्धार्थनगर क्षेत्र में इस प्रकार की समस्याएँ अपेक्षाकृत बहुत कम देखने को मिलती हैं।

उपर्युक्त तालिका के अनुसार लगभग 78 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि आधुनिकीकरण ने परिवार की संपूर्ण संरचना को प्रभावित किया है। आवास निर्माण की शैली, रिश्तेदारों के आपसी संपर्क,

पड़ोसियों के व्यवहार में परिवर्तन तथा पारिवारिक जीवन के अनेक अन्य पहलू आधुनिकीकरण के प्रभाव में स्पष्ट रूप से परिवर्तित हुए हैं। यह प्रभाव शहरी क्षेत्रों में अधिक तीव्र रूप से दिखाई देता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन अपेक्षाकृत धीमी गति से हो रहा है।

इसके अतिरिक्त, तालिका से यह भी स्पष्ट होता है कि लगभग 21.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मत है कि आधुनिकीकरण ने परिवार व्यवस्था को अत्यधिक सीमा तक प्रभावित नहीं किया है। यद्यपि कुछ परिवर्तन अवश्य हुए हैं, किंतु इन्हें स्वाभाविक और सार्वभौमिक माना गया है, क्योंकि प्रत्येक परिवर्तन को अनिवार्यतः आधुनिकीकरण का प्रतिफल नहीं माना जा सकता।

तालिका 5: यदि हाँ तो किस परिप्रेक्ष्य में?

परिप्रेक्ष्य	हाँ	नहीं
परिवार का आकार	94	46.80
पारिवारिक मानदंडों का कमजोर होना	47	23.40
स्वस्थ पारिवारिक रिश्ते	25	12.17
महिलाओं के लिए समान दर्जा	34	17.02
कुल	200	100

300 उत्तरदाताओं में से 235 उत्तरदाताओं ने कहा (हां) कि आधुनिकीकरण ने परिवार प्रणाली को प्रभावित किया है। ऐसे विभिन्न पहलू थे जिनमें परिवार प्रणाली में ये परिवर्तन और प्रभाव देखे गए। 235 उत्तरदाताओं में से 110, लगभग 47% ने खुलासा किया कि आधुनिकीकरण का प्रभाव परिवार के आकार, भूमिकाओं और जीवन शैली पर स्पष्ट है। घाटी में लोग अब दो से तीन बच्चों के साथ छोटे परिवार को पसंद करते हैं, जन्म नियंत्रण के आधुनिक साधनों और तकनीकों का उपयोग करते हैं। उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि आधुनिकीकरण के साथ, अन्य रिश्तेदारों के साथ पारिवारिक संबंध कमजोर हो गए हैं और जो लोग पहले रिश्तेदारों से अधिक बार मिलते थे अब शायद ही कभी अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं। आधुनिक उपकरणों और तकनीकों के साथ, एक-दूसरे से मिलने के संबंध में पारिवारिक संबंध कमजोर हो गए हैं, अब केवल मृत्यु के समय ही समारोह देखे जा सकते हैं क्योंकि

मृतक के परिवार से मिलना सामाजिक और धार्मिक दायित्व है। सामाजिक विचारक और अन्य बुद्धिजीवी समाज की उन्नति को देखकर हैरान हैं जहां लोगों के पास कोई औपचारिक काम नहीं है, लेकिन वे व्यस्त हैं और उनके पास अपने सगे-संबंधियों से मिलने का समय नहीं है।

तालिका 6. ग्राम समुदाय में परिवार की प्रकृति और आकार

क्रम सं.	परिवार का स्वरूप	परिवार का आकार	प्रतिशत
1	नाभिकीय	छोटे (01-07 सदस्य)	73
2	संयुक्त	बड़ा (7सदस्यों से अधिक)	27
3		कुल	100

उपर्युक्त तालिका से पता चलता है कि लगभग 73 प्रतिशत परिवार 7 सदस्यों से कम वाले छोटे परिवार अर्थात् एकल परिवार से संबंधित हैं और 27 प्रतिशत परिवार बड़े आकार के हैं और संयुक्त परिवार प्रणाली की श्रेणी में आते हैं। बदलते परिदृश्य में परिवार के अधिकार और निर्णय लेने के संबंध में उत्तरदाताओं की प्रवृत्ति नीचे दी गई तालिका में प्रदर्शित होती है:

तालिका 7. बदलते परिदृश्य में परिवार-प्राधिकार और निर्णय-निर्माण के संबंध में प्रवृत्ति

क्रम सं.	निर्णय की प्रकृति	केवल पति	केवल पत्नी	पति- पत्नी दोनो	प्रतिशत
1	बच्चों की शिक्षा से संबंधित निर्णय	(27)	(11)	(62)	100
2	पारिवारिक व्यय संबंधी निर्णय	(26)	(17)	(57)	100
3	के व्यावसायिक भविष्य के बारे में निर्णय परिवार के युवा सदस्य	(33)	(09)	(58)	100
4	कृषि-कार्य के संबंध में निर्णय	(31)	(14)	(55)	100
5	विवाह के संबंध में निर्णय	(29)	(21)	(50)	100

6	अतिथियों के आगमन के संबंध में निर्णय	(34)	(15)	(51)	100
7	संपत्ति से संबंधित निर्णय – मकान खरीदना/घर बनाना आदि।	(36)	(14)	(50)	100

तालिका क्रमांक 7 से यह स्पष्ट होता है कि परिवार में निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में पति-पत्नी की संयुक्त भूमिका का महत्व लगातार बढ़ रहा है। बच्चों की शिक्षा से संबंधित निर्णयों के संदर्भ में 27 प्रतिशत मामलों में निर्णय केवल पति द्वारा लिए जाते हैं, 11 प्रतिशत में केवल पत्नी द्वारा, जबकि 62 प्रतिशत मामलों में पति और पत्नी संयुक्त रूप से निर्णय लेते हैं।

परिवार के व्यय से संबंधित निर्णयों में 26 प्रतिशत निर्णय केवल पति, 17 प्रतिशत केवल पत्नी तथा 57 प्रतिशत दोनों पति-पत्नी द्वारा लिए जाते हैं। युवाओं के पेशेवर भविष्य से जुड़े निर्णयों में 33 प्रतिशत मामलों में केवल पति, 9 प्रतिशत में केवल पत्नी और 58 प्रतिशत में पति एवं पत्नी दोनों की सहभागिता देखी जाती है।

कृषि-कार्य से संबंधित निर्णयों में 31 प्रतिशत मामलों में केवल पति, 14 प्रतिशत में केवल पत्नी तथा 55 प्रतिशत में पति-पत्नी संयुक्त रूप से निर्णय लेते हैं। विवाह संबंधी निर्णयों के संदर्भ में 29 प्रतिशत निर्णय केवल पति, 21 प्रतिशत केवल पत्नी और 50 प्रतिशत निर्णय दोनों पति-पत्नी द्वारा लिए जाते हैं।

मेहमानों के आगमन से जुड़े निर्णयों में 34 प्रतिशत मामलों में पति, 15 प्रतिशत में पत्नी तथा 51 प्रतिशत मामलों में पति-पत्नी दोनों की भूमिका पाई गई है। इसी प्रकार संपत्ति क्रय अथवा मकान निर्माण से संबंधित निर्णयों में 36 प्रतिशत निर्णय केवल पति, 14 प्रतिशत केवल पत्नी तथा 50 प्रतिशत निर्णय पति और पत्नी संयुक्त रूप से लेते हैं।

तालिका 8. परिवार के सदस्यों के बीच आपसी संबंधों में कमी की प्रवृत्ति

क्रम सं.	संबंधों की प्रकृति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	अधिक अंतरंग	21	07
2	बंद करना	132	44

3	औपचारिक	120	40
4	खट्टे रिश्ते	27	09
5	कुल	300	100

तालिका क्रमांक 8 से पता चलता है कि लगभग 07 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अधिक अंतरंग संबंध हैं, 44 प्रतिशत उत्तरदाताओं के करीबी संबंध हैं, 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं के औपचारिक संबंध हैं, 09 उत्तरदाताओं के खट्टे संबंध हैं।

तालिका 9. उपचार के साधनों के संबंध में प्रवृत्ति

क्र. सं.	विभिन्न साधन और उनका उपयोग	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	उपचार के नए साधन	177	59
2	उपचार के पारंपरिक साधन	123	41
	कुल	300	100

उपचार के साधनों के संबंध में उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 59 प्रतिशत उत्तरदाता आधुनिक उपचार के साधनों के प्रचलन से सहमत हैं। उनका मानना है कि परिवर्तन और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कारण, उपचार के नए साधन उपयोग में आए हैं और उन्होंने पारंपरिक उपचार साधनों का स्थान ले लिया है। इन आधुनिक साधनों को स्वीकार करने वाले अधिकांश उत्तरदाता शिक्षित हैं और उनके विचार आधुनिक हैं जबकि अन्य 41 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया कि वे पारंपरिक उपचार साधनों को पसंद करते हैं और उनका अनुमोदन करते हैं। इन उत्तरदाताओं का मानना है कि पारंपरिक साधनों से स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। जिन उत्तरदाताओं ने ये विचार व्यक्त किए हैं वे परंपरावादी, अशिक्षित और रूढ़िवादी दृष्टिकोण वाले हैं।

तालिका 10. परिवार के आर्थिक और वित्तीय मामलों में बदलाव

क्र.सं.	आर्थिक वित्तीय मामलों में परिवर्तन	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
---------	------------------------------------	-----------------------	---------

1	हाँ परिवर्तन	180	60
2	कोई परिवर्तन नहीं होता है	120	40
	कुल	300	100

परिवार के आर्थिक एवं वित्तीय मामलों में परिवर्तन, उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस तथ्य पर सहमति व्यक्त की है कि परिवार के आर्थिक एवं वित्तीय मामलों में परिवर्तन हुआ है, जबकि 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं का मानना है कि आर्थिक एवं वित्तीय मामलों के संबंध में पारिवारिक कार्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिवर्तन को स्वीकार करने वाले उत्तरदाताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि आर्थिक एवं वित्तीय अधिकार परिवार के मुखिया के हाथों में सीमित नहीं है। यह उन परिवारों के सदस्यों के बीच वितरित हो गया है जो स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर हैं, और यह परिवर्तन सूचना क्रांति, पुरुषों एवं महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और आधुनिक शिक्षा के प्रभाव के कारण भी आया है।

तालिका 11 आधुनिक शिक्षा। वर्तमान समय में माता-पिता एवं अभिभावकों का अधिक झुकाव।

क्र. सं.	शिक्षा के प्रति झुकाव	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	निजी एवं कॉन्वेंट स्कूल	186	62
2	शिक्षा की आवश्यकता सामान्य है	114	38
	कुल	300	100

उपरोक्त तालिका में 62 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों, कॉन्वेंट स्कूलों के प्रति अधिक झुकाव दिखाया है। उत्तरदाताओं ने माना है कि वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा आवश्यक हो गई है; जबकि 38 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने शिक्षा की आवश्यकता को सामान्य माना है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र का निष्कर्ष है कि ग्राम समुदाय में अनेक परिवर्तन देखने को मिले हैं और यह वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण हुआ है। लेकिन यह परिवर्तन मुख्य रूप से उनके पारिवारिक ढांचे में आए सीमित परिवर्तनों के रूप में हुआ है। यह परिवर्तन मुख्य रूप से पारिवारिक ढांचे के दोनों पहलुओं से संबंधित है, लेकिन परिवर्तन का कार्यात्मक पहलू सीमित रूप में प्रदर्शित हुआ है। इस समुदाय ने न तो अपनी पारंपरिक प्रथाओं को पूरी तरह से त्यागा है और न ही पारिवारिक ढांचे के संबंध में आधुनिकीकरण को पूरी तरह से स्वीकार किया है। सामाजिक कार्यप्रणाली वैश्वीकरण और पारिवारिक मूल्यों की पृष्ठभूमि के बीच संचालित होती है। यह भी दर्शाता है कि आधुनिक परिदृश्य में पारिवारिक ढांचा अपनी पारंपरिक सामूहिकता का पालन करने में असमर्थ रहा है, लेकिन फिर भी, पारंपरिकता की बुनियादी विशेषताएं मौजूद हैं और इसने परिवार को एकजुट और एक रखा है। संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि पारंपरिक मूल्य धीरे-धीरे अपना महत्व खो रहे हैं और उनका स्थान आधुनिक मूल्यों ने ले लिया है। परिणामस्वरूप, वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण समुदाय अपने पारिवारिक ढांचे में परिवर्तन के लिए प्रवृत्त है जिसे समाज का संक्रमणकालीन चरण भी कहा जा सकता है। परिवार की संस्था समाज की अन्य संस्थाओं में परिवर्तन के साथ बदल रही है। अतीत में, सिद्धार्थनगरी समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली प्रमुख थी, लेकिन पिछले तीन दशकों ने एकल परिवार को इस पारंपरिक प्रणाली को ओवरलैप करने में मदद की है। संयुक्त से एकल परिवार में बदलाव हालांकि संस्कृति, आधुनिकीकरण, शिक्षा, मूल्यों और अन्य सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक विकास जैसे कई कारकों पर निर्भर करता है। सिद्धार्थनगर जनपद में अनेक परिवारों का विघटन मुख्यतः पारिवारिक आंतरिक संघर्षों के कारण हुआ है, जिनमें बहुओं की संख्या में वृद्धि के चलते अलगाव की संभावनाएँ अधिक देखी गई हैं। इसके बावजूद, संयुक्त परिवार प्रणाली आज भी यहाँ प्रचलित है और वैश्वीकरण के वर्तमान युग में भी अपना अस्तित्व बनाए हुए है। सिद्धार्थनगर के लोगों में यह धारणा अब भी प्रबल है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था स्थानीय आर्थिक संरचना के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही, मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण इस्लामी शिक्षाएँ भी संयुक्त परिवार प्रणाली के संरक्षण और निरंतरता में सहायक रही हैं।

संदर्भ

1. रानी, पूजा और कौर, अमन. (2023). भारत में बदलती पारिवारिक संस्था. 10.36537/IJASS/10.5&6/341-350.

2. गोपालकृष्णन, करुणानिधि. (2021). भारत में परिवार व्यवस्था का बदलता परिदृश्य: बदलते सामाजिक मूल्यों की पृष्ठभूमि में विश्लेषण. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज. 10. 10.46852/2249-6637.01.2021.7.
3. एस.पी., राजीव. (2019). भारत में बदलते परिवार और सामाजिक कार्य प्रतिक्रियाएँ. जर्नल ऑफ सोशल वर्क एजुकेशन एंड प्रैक्टिस. 4. 17-24.
4. भसीन, हिमानी. (2016). आधुनिक समय में पारिवारिक संरचना में बदलाव. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी. 3. 10.25215/0304.169.
5. शेइदु अब्दुलकरीम, हारुना और बाबा, यूसुफ़. (2022). अध्याय तीन परिवार और राष्ट्रीय विकास का समाजशास्त्र.
6. दोशी, एस.एल. 2002. आधुनिकता, उत्तर-आधुनिकता और नव-समाजशास्त्रीय सिद्धांत। जयपुर और नई दिल्ली: रावत प्रकाशन।
7. गिडेंस, एंथनी. 1990. आधुनिकता के परिणाम. कैम्ब्रिज: पॉलिटी प्रेस.
8. गुड, डब्ल्यू.जे. और हैट. पी.के. 1983. - सामाजिक अनुसंधान में विधियाँ. ऑकलैंड: मैकग्रॉ हिल इंटरनेशनल.
9. गोर, एम.एस. 1968. भारत में शहरीकरण और पारिवारिक परिवर्तन. बॉम्बे: पॉपुलर प्रकाशन.
10. जैन, शोभिता. 2002. भारत में परिवार, विवाह और नातेदारी। जयपुर: रावत पब्लिकेशंस.